

61/3

भारतीय और न्यायिक
आरक्ष INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 367829



अखिल भारतीय धनराज सामाजिक ट्रस्ट

(Akhil Bhartiya Dhanraj Samajik Trust)

वार्ड : राजीव गांधी नगर

स्टाम्प शुल्क : रु0 750/-

न्यास पत्र / स्मृति पत्र

यह न्यासपत्र / स्मृति पत्र दिनांक 06.12.2013 को स्थान
लखनऊ मे द्वारा धनराज सिंह चाहव पुत्र स्व० अलगू सिंह चाहव
निवासी-2/652ई, विराम खण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ, स्थाई
निवासी-सी-33/148बी-1डी, चंदुआ छित्तपुर, जिला-वाराणसी 202000
(भारत) संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक / अध्यक्ष/ न्यासकर्ता/
व्यवस्थापक ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे।

५१८८५८८८८



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 2 -

हमारी यह हार्टिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख स्थान्ति संगठन सद्भाव, विश्वास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यासा की स्थपना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 20,000/- रुपये (रुपया बीस हजार मात्र) केवल संस्थापक द्रस्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक द्रस्टी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

अखिल भारतीय धनराज सामाजिक द्रस्ट

(Akhil Bhartiya Dhanraj Samajik Trust)

1. द्रस्ट का नाम

मधन संख्या-2/652ई, विराम खण्ड,
गोमती नगर, शहर
लखनऊ-226010.

2. (1) न्यास का पंजीकृत

कार्यालय

6-12-03
1400
30.00
52

माला नियम संस्कृत विद्यालय नं 52
माला नियम संस्कृत विद्यालय नं 52



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1313306

- 2 -

हमारी यह हार्टिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थाई सुख शान्ति संगठन सद्भाव, विश्वास गुणों की स्थापना हेतु एक न्यास की स्थापना की जाए तथा उपचुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए तथा इसके निर्मित प्रारम्भ मुद्रा 20,000/- रुपये (लाखा बीस हजार मात्र) केवल संस्थापक द्रष्टी प्रदान करते हैं जो कि निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक द्रष्टी के रूप में कार्यरत रहेंगे।

अखिल भारतीय धनराज सामाजिक द्रष्ट

(Akhil Bhartiya Dhanraj Samajik Trust)


- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. द्रष्ट का नाम | : | भवन संख्या-2/652ई, विराम छण्ड, |
| 2. (1) न्यास का पंजीकृत
कार्यालय | : | गोमती नगर, शहर
लखनऊ-226010. |

Shanti Saway

6-12-2013

निकाल विधि
विद्युत विधि

52



न्यास
रुपय

FIFTY
RUPEES

₹ 50

Rs.50

INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

- (2) न्यास का उपरोक्त प्रशासनिक कार्यालय
- (3) न्यास शाखा मध्यन संख्या-2/6525, विहाम खण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ-226010.
3. न्यास का कार्यसेत्र न्यास का कार्यसेत्र समूर्ण भारत/विश्व होगा। इसके न्यास द्वाट शाखा कार्यालय देश/विदेश के अलग-अलग राज्यों तथा शहरों/गाँवों में स्थापित होंगे।
4. न्यास में द्रस्टी सदस्यों की संख्या : न्यास में द्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे।

१८८५ ई ८० ३०

भारतीय और न्यायिक

संवाद
रूपये

₹ 50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A7 333316

- 4 -

5. न्यास का गठन :-

क्रो सं०	सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम व वर्तमान पता	पदनाम	व्यवसाय
1.	धनराज सिंह यादव	लड़ अलंग, लिंग नगर निवासी-2/652ई, विदाम लाण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ, उत्तार निवासी-ही-33/148सी-1डी, चंदुआ चिलपुर, विदा-बाराणसी 3030	संस्थापक/ अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक	समाज सेवक
2.	श्रीमती फूलपत्ती देवी	श्री धनराज सिंह यादव निवासी-2/652ई, विदाम लाण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ, उत्तार निवासी-ही-33/148सी-1डी, चंदुआ चिलपुर, विदा-बाराणसी 3030.	सहायक द्रष्टी/ सचिव	समाज सेविका
3.	लीलावती यादव	डा० आर०सी० यादव निवासी-2/652ई, विदाम लाण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ।	कोषाध्यक्ष	समाज सेविका
4.	प्रियेश	डा० आर०सी० यादव निवासी-2/652ई, विदाम लाण्ड, गोमती नगर, शहर लखनऊ।	महासचिव	विदाथी

Dhanraj Sardar



- 5 -

आजीवन न्यासी :-

न्याय के हित में न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष समाज के चुनिन्दा व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो न्यास के आजीवन सदस्य कहलायेंगे। यह न्यास के आजीवन सदस्य जीवन पर्यान्त बने रहेंगे। यह न्यासी विधिक रूप से या अन्य कारण से अक्षम होने पर न्यास से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। न्यास के आजीवन सदस्यों को न्यास की वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने, माग लेने व गतदान देने का अधिकार रहेगा तथा न्यास के संचालन में उनका सहयोग रहेगा। यदि न्यास का संस्थापक/अध्यक्ष स्वयं जीवित नहीं रहता है तो ऐसी विधियों में वर्तमान कोषाध्यक्ष लीलावती यादव संस्थापक/अध्यक्ष हो

Dharmendra Singh



- उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

जायेंगी इस हेतु किसी प्रकार के प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रबुद्ध न्यासी:-

मूल संस्थापक/अध्यक्ष न्यास के हित में प्रबुद्ध व्यक्तियों को न्यास में रख सकता है। प्रबुद्ध न्यासी वही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं अथवा न्यास के हित में, समुदाय के हित में तथा राष्ट्र के हित में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। न्यास इनके सुझावों को यदि उचित समझता है तो उन्हें स्वीकार कर सकता है।

6. न्यास के मुख्य उद्देश्य :-

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य, पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के सर्वांगीण विकास एवं बीद्विक विकास तथा समृद्धि के लिए होगा। और न्यास की आय से देश-विदेश में किसी प्रकार की अन्य शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रशिक्षण करने में दिना

श्रीमद् श्री

किसी प्राप्ति-प्राप्ति को सांख्यिक कल्याणाद्य एवं उसके प्रयासों को समर्पित की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यवितरण लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो। संस्था को मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार, स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार देश-विदेश में करना एवं इसके लिए हर समव्य प्रयास करना। मानव समाज को समृद्ध संगठित, स्वस्थ बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में परियोजनाओं के विद्यान्वयन और मूल्यांकन में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/निजी संस्थाओं एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त करना एवं कार्य करना। मिशन स्वर्ण मारत 2020 को उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु कार्यों परियोजनाओं को संचालित करना। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करना भी सम्मिलित है।

1. द्रस्ट (न्यास) के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय एवं विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं एवं व्यवसायिक प्रशिक्षणों का संचालन करना। कपाट, नाबाई, सूडा, झूडा, सिफ्सा, नेहरू रोजगार योजना, जबाहट रोजगार योजना, डी०आ०डी० तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुदान/क्रतु प्राप्त कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
2. स्वस्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण स्वास्थ्य संवर्धन, विकित्सा सेवा के क्षेत्र में नवीनतम लकड़ीकी शिक्षा का प्रयोग करना एवं समाज को लाभन्वित न्यास/संस्थाओं /संगठनों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
3. राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने तथा उसकी व्यवस्था को सुनुषित करना एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रशिक्षण प्रदान कराना ताकि

श्रीमती अमृता शर्मा

राज्य/जिला/ प्रसांड/पर्यावरण स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र एवं परामर्श केन्द्र को संगठन और प्रबलंग के माध्यम से स्वास्थ्य के केंद्र में मानव शक्ति का संवर्गीण एवं बीड़िक तथा समृद्धि का विकास हो सके।

4. राज्य/जिला एवं देश स्तर पर मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज पाठ्य मेडिकल, एलायड मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्वयं करना और स्थापना में संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर आर्थिक एवं तकनीकि सहायता उपलब्ध करना एवं विकास हेतु अन्वेषण एवं शोध कार्य करना।
5. ग्रामवासियों को रोग मुक्त जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य जागरूकता शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित करना एवं स्वस्थ समाज की स्थापना करना।
6. आयुर्वेद, होमियोपैथी, एलोपैथ, चोग, ध्यान और धूनानी चिकित्सा पद्धति के केंद्र में कार्यरत संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों/ ट्रस्ट/समिति आदि से सम्बद्धता प्राप्त करना और इसके द्वारा मानव विकास हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियावित करना तथा प्रशिक्षण कार्य कराना।
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, निजी सार्वजनिक एवं अन्य संगठनों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

Blank page 4

8. अन संख्या नियंत्रण, भलेटिया नियंत्रण, पोलियो, एहस, कुछ एवं टीजी० उम्मूलन में सरकार/संस्थाओं को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।
9. कुपोषण महामारी से आम जनता को राहत पहुँचाना, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से विकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।
10. संपूर्ण मानवता को शिक्षित करने, निरक्षरता उम्मूलन एवं उनके नेतृत्व चारित्रिक एवं मानसिक विकास करने/ शिक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन में और विद्यालय महाविद्यालय में तकनीकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना को सुनिश्चित करवाना।
11. शिक्षा विकास पर सेमिनार/कार्यशाला/सभा आयोजित करना। कार्यवाही के अनुरूप शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करवाना।
12. प्रत्येक गांव पंचायत, प्रखंड, जिला उत्तर, राज्य उत्तर एवं राष्ट्र स्तर पर बोटिक विकास केन्द्र की स्थापना स्वयं करने की योजनाओं को निश्चित करवाना।
13. शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उनके नियोजन के लिए अवसर सूजन करना, नियोजन करना।
14. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को जन-जन तक पहुँचाना एवं महत्वपूर्ण योगदान देना पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र पर्यावरण विकास

Henry Scotts

एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु शिक्षण केन्द्र को प्रोत्साहित करना।

15. मानव संसाधन विकास एवं संबद्धन हेतु मानव समिति विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना, सूचना एवं प्रोधोगिकी विज्ञान और प्रोधोगिकी के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की स्थापना तथ्य करना और इसे कार्यान्वित करना।
16. शिक्षणिक संस्थानों तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों विश्वविद्यालयों/ परिषद से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त करना और प्रशिक्षण/शिक्षण आरंभ करना एवं अन्य संस्थाओं को स्थापना में सहयोग करना और प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/डिग्री प्रदान कराना।
17. शिक्षा के लिए आवश्यकता के अनुरूप अन्वेषित एवं प्रयोगात्मक पुस्तिका एवं पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन करना तथा शिक्षा प्रयाट-प्रसार हेतु टेली फिल्म/वृत्त चित्र का निर्माण कार्य करना।
18. राष्ट्रीय महत्व के पुरातन धरोहर के संरक्षण में लोगों को शिक्षित करना व भ्रमण कराना एवं उनके जिर्णोद्धार का कार्य करना, संचालित करना और ऐतिहासिक महत्व के भवनों को जिर्णोद्धार करना एवं राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, रमणीक पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु होटल रेस्टोरेन्ट रिसॉर्ट का निर्माण करना एवं भ्रमण कराना, कृत्रिम जलाशय झील का निर्माण करना और नीका विहार को प्रोत्साहित करना एवं पर्यटन के क्षेत्र में और होटल प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम संघाचित करना।

Mamta Sahu

19. स्वतंत्र भारत के समिधान और नागरिकों के मीलिक अधिकार के संबंध में कानूनी जानकारी प्रदान करना और मानवीय मूल्यों के गहिरा की स्थापना सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।
20. मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और मानवाधिकार/सामाजिक अधिकार हनन की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करना।
21. उपेषित ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विद्यालयों की स्थापना करना और आवश्यक कार्य हेतु योजनाओं को सुनिश्चित करना।
22. कृषि के क्षेत्र में अन्वेषित/नवीन प्रौद्योगिकी/बायोटेकनालॉजी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करना और किसानों को उन्नत कृषि में प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि क्षेत्र में शिक्षित एवं समृद्ध बनाना।
23. बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित एवं क्रियान्वयन करना और कृषि के क्षेत्र में होने वाले क्षति को आकलन कर उसकी पूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं करवाना।
24. किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों के लिए बैंक में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों और किसानों के विकास के कार्य करना और उनके हितों के लिए कल्याण कार्यक्रम संचालित करना व वृद्धि किसानों के लिए वृद्धांत्रम् का निर्माण एवं संचालन करना और कृषकों के स्वास्थ्य

Manu S. J.

संबद्धन हेतु आकस्मिक चलत विकास केन्द्र की स्थापना करना।

25. कृषि एवं बागवानी विकास पर सोमिनार/कार्यशाला गोष्ठी/यैतक का आयोजन करना और अनुमति का आदान-प्रदान, पंचायत स्तर/प्रस्तुति स्तर/ जिला स्तर/ राज्य स्तर पर कृषि विकास केन्द्र की स्थापना करना, शोध एवं अनुसंधान कार्य कराना।
26. कृषकों के विकास हेतु देश के सभी क्षेत्रों में कृषक पंचायत के माध्यम से सरकारी सुविधा उपलब्ध करने हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षित करना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण करना, विपणन करना एवं कृषकों का स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था करना।
27. सीर उर्जा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सीर उर्जा ग्राम के रूप में विकसित करना, सोलर पार्क विकसित करना।
28. पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं निर्वाचन जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और परियोजना निर्माण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और जन प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करना।
29. भारत वर्ष की सामाजिक समस्या का अध्ययन एवं निराकरण का उपाय ढूँढना तथा राज्यों में दलितों एवं कमज़ोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के उपाय करना।

अमृता देवी

30. लिंग, जाति या धर्म के मामले में भेद-भाव को दूर करने का प्रयास करना। लोगों में मानवीय गुणों को शिकायत करने की स्थिरता का बढ़ावा देना। अन्याय से छुटकारा और कानूनी सुविधा प्रदान करना एवं इस दिशा पर कार्य करना।
31. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास करना। भूमि सुधार की समस्या और निदान के उपाय को सुनिश्चित एवं क्रियावित करना। स्वरोजगार के नये क्षेत्रों का सृजन करते हुए गरीबी को खात्म करने की दिशा में कार्य करना।
32. बेरोजगारी और गरीबी के कारण बढ़ती जा रही निराशा, अपराध एवं स्वार्थपरता मिटाने के उपाय करना तथा गरीबी और अमीरों तथा किसानों और गैर-किसानों के बीच जीवन दशा में अंतर की खाई को दूर करने के उपाय करना एवं निराकरण करना।
33. शिक्षा-प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति एवं उसके कठिनाईयों के लिए संभावित कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाए जाने पर बल देना।
34. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण खोई आत्मनिर्भरता लौटाने के उपाय सोचना।
35. महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं दलित पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति का विश्लेषण कर निदान दूरना, स्वच्छ एवं संतुलित समाज के निर्माण में योगदान देना तथा उनके सर्वांगीण विकास, समाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न

अनु-मिसन्डे

कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना एवं मातृत्व तथा
बच्चे को समाजिक सुरक्षा का अधिकार दिलाना।

36. तिलक, दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं को समाजिक स्तर
पर ही निबटाने का वातावरण तैयार करना महिला और कमज़ोर
महिला को जुल्म से छुटकारा दिलाना। स्वयंसेवी जत्था सृजित
करना, दहेज प्रथा के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाना एवं दहेज
विरोधी कानून के कार्यान्वयन के लिए प्रभावकारी जन-साहयोग
एवं प्रशासनतंत्र के गठन के लिए अभियान चलाना।
37. निम्न मध्यवर्गीय लोगों की समस्या का विशेष रूप से संकलन
एवं निराकरण के उपाय का विश्लेषण करना एवं शिक्षित
बेरोजगारी की समस्या और स्वरूप का अध्ययन एवं निदान का
उपाय निकालना।
38. कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर, ईंट भट्टा काटनेवाला, पत्थर
तोड़ने वाला, बीड़ी, दर्जी दुकानदार, माछुआरा एवं अन्य असंगठित
मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन एवं इन सभी वर्गों के मजदूर
को न्याय एवं उत्थान के लिए प्रयास करना।
39. युवकों एवं छात्रों की समस्या, छात्रों के लिए विशेष सुविधा
उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रयत्न के अतिरिक्त समाज के पिछड़े
वर्गों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग दलित वर्ग, आदिवासी एवं
अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की उच्च शिक्षा में व्यापक प्रवेश
के लिए प्रयास करना।

Dr. B. M. Sanyal

40. अन्य पिछड़े गाँव में भावावली पिछड़ा लग के बीच वर्गीकरण सुनिश्चित कराना और उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार केन्द्रीय सेवा में आरक्षण सुनिश्चित कराके अत्यन्त पिछड़े गाँव के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना।
41. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों के शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना कराना।
42. कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराना एवं समाज की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों और आकड़ों का संकलन करना और सामाजिक घटना के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण जानकारी से सदस्यों एवं समाज को अवगत कराना।
43. न्यास द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा करवा कर उन पर विशेषज्ञों की टिप्पणी आमत्रित करना और उन विषयों पर प्रखण्ड जिला एवं राज्य स्तर पर गोष्ठियाँ अयोजित करना।
44. विधिरों एवं विकलांगों को संगठित कर उन पर हो रहे अनदेखी को ध्यान में रखकर उनके उत्थान के लिए कारगर कदम उठाना।
45. बच्चों को अच्छे शिक्षण प्रणाली एवं उस पर आये दिन हो रहे जुल्म के लिए आवाज उठाना एवं उनके लिए कारगर कदम उठाना। बाल मजदूरी को सत्त्व करने का प्रयास करना।
46. द्रस्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए द्रस्ट के पक्ष में अथवा द्रस्ट द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण संस्थापक/अध्यक्ष द्वारा करना।

8 Jan 90.4

47. शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने हेतु स्वाम, कालेज महाविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, मनिटर, महिजद, मदरसा, मकानब, हाईप्रिंटल, मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, दारुल्लेखतामा का क्याम और यतीम और गरीब बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना व रोजगार प्रकार योजनाएँ बढ़ाना देना व उनकी शादी में मदद करना व देश के कमज़ोर व बेगुनाह कौदियों की आजादी हेतु अदालती पैरवी करना व उनके लिए योग्य अधिवक्ताओं का पैरवी के लिए चयन करना व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीनी व सामाजिक जलसा का आयोजन को आयोजित करना तथा इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा इन उद्देशयों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।
48. छात्रों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति मानदेश पुस्तकार आदि का प्रबन्ध करना व स्कूल कालेज व संस्थान में प्रशिक्षण, शोध व सेमीनार आदि आयोजित करना व विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान करना तथा इन उद्देशयों की पूर्ति हेतु कोष की स्थापना करना, दान लेना व अनुदान प्राप्त करना।
49. शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए राज्य व केन्द्र सरकार व विदेशों से अनुदान प्राप्त करना तथा दानशील व्यक्तियों की संस्थाओं व संस्थानों से वित्तीय सहायता लेना।

Slack 5/1975

50. भारतीय सांस्कृतिक परोहर का संवर्धन करना। पर्यावरण सम्बन्धी समस्त प्रकार के कार्य करना व सरकारी योजनाओं के क्रियाकलापों में सहयोग करना।
51. गरीबों को जाड़े के दिनों में चर्चा आदि वितरण करना।
52. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जनमानस को पारम्परिक कला से परिचय कराना।
53. गरीबों को भोजन कराना, भण्डारा करना तथा गर्मियों में पीशला आदि की व्यवस्था करना।
54. यह कि उपरोक्त प्रकार के कार्यों को सम्पादन करने वाली संस्थाओं से सहयोग लेना।
55. अन्य कोई कार्य जो समाज व राष्ट्रहित में हों।
56. यह कि उपरोक्त द्रष्ट द्वारा सामाजिक अखबार, मैर्जीन, साप्ताहिक, माहवारी, वार्षिक का प्रकाशन कराना व वितरण करना। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रचार प्रसार एवं मीडिया के शीक्षणिक केन्द्रों की स्थापना कार्य भी करेगा।
57. यह कि पशुपालन जैसे बकरी, मैस, गाय तथा पक्षियों को पालना तथा विकास सम्बन्धित कार्य करना तथा पशु-पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना।
58. यह कि द्रष्ट भवन निर्माण, बिल्डर्स, टाउन प्लानर, रियल स्टेट डेवलपर्स आदि का कार्य एवं सरकारी एवं प्राइवेट सिविल कान्ट्रेक्टर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आदि संचालित कर घर्जन करते हुये घेरती योग्य निःस्वार्थ भाग से ग्रामीण

Shahriar

विकास, बेटोजमारी उन्मूलन एवं स्वच्छता आदि का कार्य करेगा। साथ-साथ इन्टीरियर डेकोरेटर एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में भी अपना चोगदान सुनिश्चित करेगा।

59. यह कि जल संधर्य एवं पर्यावरण से सम्बंधित सरकारी एवं अद्वैत सरकारी प्राईवेट कार्यों का समस्त प्रकार से विधि अनुसार संचालन करना। पेजल जागरण शिविर ट्वजल धारा, जलनिधि के कार्यक्रमों का आयोजन, ऐन वाटर हार्डेटिंग, वाटर शेड डेवलमेन्ट, हिंड पम्पों की अवस्थापना तथा प्राकृतिक जल का संधर्य करना।
60. अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत के विभिन्न मंत्रालयों से संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।
61. असहाय वृद्धों के कल्याणार्थ डे-केयर सेन्टर, ओलड ऐज होम, विकलांगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्यक्रम, स्वाधारा योजना के अन्तर्गत परित्यक्त महिलाओं को पुनर्वासित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासियों के लिए तथा शौक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, झुग्गी झोपड़ी तथा फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों लिए शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिवार परामर्श केन्द्र एवं बाल श्रमिकों के लिए पिंडालय तथा व्यवसायिक

प्रशिक्षण केन्द्र, परामर्श केन्द्र, गोष्ठी, समिति का आयोजन करना।

62. राष्ट्रीय हित एवं विकास हेतु जन सामान्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों (नरेंगा, स्वास्थ्य मिशन, कृषि विकास, सूखना अधिनियम, खाद्य सुरक्षा) आदि के समुचित क्रियान्वयन, संचालन एवं हिताग्राही लोगों तक उक्त कार्यक्रमों का समुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के फोटम, संगठन एवं समितियों का गठन कर उपरोक्त कार्यक्रमों को सर्वाधित किया जायेगा।
63. यह कि समाज के सभी वर्गों के लिये पुस्तकालय व वाचनालय, व्यायामशाला व क्लब आदि का संचालन करना।
64. यह कि विधवाओं, निराश्रितों, विकलागों के सामाजिक विकास के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।
65. यह कि नशा उन्मूलन सम्बन्धित योजनाओं को प्रसारित एवं प्रचारित करना तथा नशे में उत्पन्न बुराईयों के बारे में समाज में समस्त प्रकार के कार्यक्रम करवाना।
66. यह कि भारत सरकार की किसी भी प्रकार की योजनाओं से अनुदान प्राप्त करना एवं विदेशी संस्थाओं से दान प्राप्त करना तथा सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट तथा अन्य योजनाओं का विधिनुसार संचालन करना।

धनराज सिंह यादव

संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

अखिल भारतीय धनराज सामाजिक ट्रस्ट
(Akhil Bhartiya Dhanraj Samajik Trust)

नियमावली

१. परिमाणार्थ :

(क) न्यास का नाम : अखिल भारतीय धनराज सामाजिक ट्रस्ट
(Akhil Bhartiya Dhanraj Samajik Trust)

(ख) न्यास का प्रधान ट्रस्टी : संस्थापक अध्यक्ष/न्यास मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगा।

(ग) पदाधिकारी/न्यासट्रस्टी : संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव/कोषाध्यक्ष/सहायक ट्रस्टी न्यास के पदाधिकारी होंगे।

(घ) प्रबन्ध समिति : प्रबन्ध समिति में कुल चार सदस्य होंगे जिनमें संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं सचिव/सहायक ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष होंगे, इसकी अध्यक्षता संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यास करेंगे एवं संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति पर इसकी अध्यक्षता सचिव/सहायक ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष न्यास करेंगे। भविष्य में आवश्यकतानुसार सदस्य बढ़ाये जा सकते हैं परन्तु अधिकतम संख्या-5 से अधिक नहीं होगी।

(घ) वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

अखिल भारतीय धनराज सामाजिक ट्रस्ट

(३) एकट

2. सदस्यता

: द्रस्ट एकट 1882 संशोधित एकट के अन्तर्गत।

: द्रस्ट की संस्थागत/साधारण सदस्यता के लिए विहित आवेदन प्रपत्र में संगठन के नाम से आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/ अध्यक्ष की अनुमति/ स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर, किया जा सकेगा। सदस्य निम्नलिखित होंगे।

1. संस्थागत सदस्य— कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।

2. सदस्य— कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित रकम अदा कर वे न्यास के सदस्य हो सकते हैं।

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर
2. सदस्य के पागल होने पर
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर एवं विपरीत आचरण पर
5. प्रधान द्रस्टी/प्रबन्ध समिति द्वारा निष्काषित करने पर

3. सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति

संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

: 1. न्यास के उद्देश्य और नियमावली एवं स्मृति पत्र में आवश्यकतानुसार संसोधन समय- समय पर करना।

Dr. B. S. J.

के अधिकार एवं
कर्तव्य

2. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन और प्रबंध समिति गठित करना।
3. संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को अतिरिक्त सदस्यों को प्रबंध समिति में मनोनित करने का अधिकार होगा एवं उनका कार्यकाल संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
4. संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी न्यास के सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे।
5. संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने तथा अध्यक्ष/ न्यासी को न्यास से निष्कासित करने का अधिकार होगा और उनकी निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इस पर कोई चुनौती मान्य नहीं किया जा सकेगा।
6. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार हासिल है कि प्रबंध समिति द्वारा पारित किसी भी निर्णय को रद्द बिना कारण बताये कर सकता है।
7. न्यास का विघटन इस परिस्थिति में नहीं

विधिवत्

होगा जब संस्थापक/आध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के स्वास्थ्य की बजह से स्वयं त्वामण्डल देने पर संस्थापक/आध्यक्ष को पागल होने पर, लम्ही बीमारी से ग्रसित रहने पर भारत की नागरिकता छोड़ने पर एवं अन्य बात होने पर जो भारत सरकार के नियम के अनुसार मान्य हो, लागू होगा ऐसा होने पर इनके जगह पर इनके परिवार की सहमति से परिवार का कोई बालिग पुल्य या महिला संस्थापक/आध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पर मनोनित होगें वही इस पद पर बने रहेंगे और यह क्रिया हमेशा चलता रहेगा।

8. न्यास का विघटन न्याय ट्रस्टी/प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर नहीं हो सकेगा।
9. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष स्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करना एवं आवश्यक निर्देश देकर न्यास के पदाधिकारी से करवाना।

10. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति के

Draft by S. K. S.

संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को बिना प्रबंध समिति को पूर्ण सूचना के पांच लाख रुपया तक का लाभ करने का अधिकार प्राप्त है।

11. न्यास के सभी चल-अचल संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।
12. संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।

5. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

: अध्यक्ष न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आमसमा, प्रतिनिधि समा, असाधारण आम समा, की बैठक की अध्यक्षता संस्थापक/ अध्यक्ष न्यासी की अनुपस्थिति या अन्य आकस्मिक कारणों से करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायिक मत देने के अधिकारी होंगे। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को संपन्न करना। न्यास के नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही को रोकना।

6. सहायक द्रष्टी/सचिव/कोषाध्यक्ष

: उन समस्त कार्यों को करना जिससे द्रष्ट की आय में वृद्धि हो सके। द्रष्ट (न्यास) के समस्त

५५५८८५८८८

के कर्तव्य

लेंगा जोला एवं कोष से सम्बन्धित सारे दस्तावेजों को अपने पास अध्यक्ष की सहमति से सुरक्षित रखना। कोषाध्यक्ष संस्थापक दृस्टी के पास कम से कम बैंक के अलावा ₹ 5000/- रुपये का अधिकार रहेगा। दृस्ट द्वारा किये गये संबंधवाहार कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा ही सम्पादित होंगे।

7. प्रबंध समिति का निर्वाचन

: प्रबंध समिति का कार्यकाल प्रत्येक पाँच वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन संस्थापक न्यासी के निर्देशानुसार होगा। दो सदस्य संस्थापक सदस्य से जो न्यास-पत्र में उल्लेखित हैं।

8. न्यास का प्रबंधन

: न्यास का प्रबंधन संस्थापक/अध्यक्ष सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें न्यास के पदाधिकारी सहित एवं दो अन्य निर्वाचित सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति भंग कर नयी प्रबंध समिति गठित कर लें।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति से किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक/अध्यक्ष को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये

Shubh 5/6/12

जायोग

9. **न्यास की आय के बोत एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासी के अधिकार**
- दान, खदा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग राशि, धन, संपत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान स्वैच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से चल/अचल सम्पत्ति प्राप्त करना और जनहित में कार्यहित कार्यक्रम संचालित करना।
10. **प्रबंध तामिति के अधिकार न्यास के संबंध में**
1. समय-समय पर न्यास की कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
 2. न्यास के संपत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि की वृद्धि के हेतु न्यास की निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूँजी में निवेश करना या राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर, एच०डी०एफ०टी०/ य०टी०आई०, ए०बी०ए० एमरो, आई०टी० आई०सी०आई०/इंग वैश्व मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
 3. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउंडेशन, राष्ट्रीकृत बैंक, नाबाड़, विश्व बैंक या एसियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या अन्य प्राइवेट एवं पब्लिक संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण

श्रीमति नितेश याज्ञिक

प्राप्त करना।

4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग अस्पताल, मेडिकल कालेज, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी, प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालय एवं कालेज की स्थापना में करना।
5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर देना।
6. न्यास के नाम से बघत/चालू/अवारी जमा/अनवर्ती जमा खाता लौलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचलन संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी या उनके द्वारा अधीकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संसोधन कर बैंक/डाकघर को सूचित करना।
7. न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियमित करना/अधिकृत करना।
8. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालीन वैतानिक/अवैतानिक व्यक्तियों अधिकारियों की नियुक्ति/लापरवाही के लिए दण्डित करना

४६५२०८

और नियुक्ति रद्द करना।

9. किसी अन्य न्यास/द्रस्ट /संगठन/संस्थान से संबद्ध होना, संबद्ध करना और उद्देश्य की पूति करना।
10. न्यास के संपत्ति, कोष/निधि सामान्य उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छक, संगठन, न्यास/द्रस्ट को देना।
11. न्यास के उद्देश्य की पूति हेतु आवश्यकतानुसार राज्य/ जिला/ प्रखंड/ पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्राप्त करना।
12. प्रबंध समिति न्यास के कार्यों को संपादित एवं सूचारू रूप से घलाने में समर्थ-समर्थ पर अलग-अलग समितियों या एक समिति गठित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
13. न्यास के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय लेख का अंकेक्षण।
14. अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
15. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार

Dated 20/10/2014

करना।

16. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
17. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
18. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सुलिल करना।
19. आवश्यकता पड़ने पर निर्णयिक भत देना या विपदायस्त परिस्थिति में संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का निर्णय अतिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जाएगी।
20. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत ही किया जायेगा।
21. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हेसियत से संस्था के दैनिक प्रशासन से सर्वाधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रहकर संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे।
22. न्यास के सभी अभिलेख को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
23. न्याय की सभी बैठकों का आयोजन करना

Shashi 5/1/94

तथा उपाध्यक्ष के परामर्श से बैठकों के
लिए ऐजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

24. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा
तैयार करना तथा उनका अंकोशण करना,
वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
25. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के
अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन
करना।
26. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के निष्पादन हेतु
अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति
करना या कार्य मुक्त करना।
27. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय राज्य/जिला शाखा के
कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम
के क्रियान्वयन के लिए आप सभी की
स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु
सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।
29. समान उद्देश्यों की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन
के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना,
संबद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु
सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।
30. राष्ट्रीय शाखा/राज्य शाखा/ जिला/प्रखण्ड/
पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए घन राशि

अधिकारी

का स्वीरा तैयार करना।

31. प्रबंध समिति के प्रत्येक कार्यपाली का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।
 32. किसी सदस्य जिनका चटिंज उद्देश्यों को कुठारघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से बचित करना/शिशुकृत करना।
 33. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करगी।
1. साधारण बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपतकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
 2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक एक महीने में एक बार होगी तथा आवश्यकतानुसार भी बैठक बुलाई जाएगी।
 3. प्रबंध समिति में कुल सात पदाधिकारियों में से पांच पदाधिकारियों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।
 4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर

Dnyaneshwar

11. प्रबंध समिति की बैठक

विचार नहीं हो सकेगा

12. आम सभा

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा
स्थान पर वार्षिक आम
सभा प्रत्येक वर्ष के अंत में होगी जिसकी पूर्ण
सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों
को दे दी जाएगी आम सभा के निम्नलिखित
कार्य होंगे:-

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट
करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृत प्रदान
करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. अंकोसित आय-व्यय लेखा पर विचार
करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकोसित की नियुक्ति करना।
6. आगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का
बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान
करना।
7. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चय/
निर्धारित करना।
8. पूर्ण सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर
संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य
कार्यकारी पदाधिकारी की अनुमति से
विचार करना।

Abhay Singh

असाधारण बैठक

संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम, संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के निर्णय को कही भी धुनीती नहीं दिया जायेगा।
4. बैठक की सूचना निष्पत्ति डाक कोरियर या विशेष दृत द्वारा दी जायेगी।

14. मतदान

साधारणतया मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/अध्यक्ष न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा मतदान की भी

Reed 26/4

15. रिक्त पदों की पूर्ति

व्यवस्था हो सकती है।

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद शोध कार्यकाल के लिए संस्थापक /अध्याधा न्यासी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं।

16. आय का खोल

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे।

- (क) प्रवेश शुल्क
- (ख) सदस्यता शुल्क
- (ग) आजीवन सदस्यता शुल्क
- (घ) दान एवं चंदा
- (ङ) अनुदान
- (च) ऋण
- (छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से/वैरिटी शो के आयोजन से/प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।
- (ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क
- (झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से तथा जमा कोष से।

17. द्रस्ट के अभिलेख

: द्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, स्टॉक

लैन्ड्रिन्ग

20,000.00

संबंधी राशि

भी

पुत्र भी

विवाह लिंग याद्य
मा. अलगु लिंग याद्य

वाहन व सामाजिक सेवा

निवासी नामी 2/652 इ., विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ
आवासी नाम

२ एक लेखांशु द्वारा दाखिल है दिनांक 6/12/2013 वक्ता 4:02PM
को लिखाया है इस लिए :

वक्ता वक्ता

200.00

संबंधी राशि

40

240.00

2,000

संबंधी राशि द्वारा

द्वारा

जारी कराया गया

Alka P. S. S. K. G.

राजस्थान अधिकारी के दस्तावे

एच० केओ पाण्डेय
उप-निवन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

6/12/2013

विवाह-वेतावत वह युवती व युवकों वर्षावाली

नामी

Alka P. S. S. K. G.

भी वाहन लिंग याद्य
पुत्र भी मा. अलगु लिंग याद्य
प्रथा समाज सेवा
निवासी 2/652 इ., विरामखण्ड गोमतीनगर
लखनऊ

वे निपाटन गीतकार किया।

निवासी यापन धोमटी लीलानाथ
जानी भी डा. आर. सी. याद्य

प्रथा समाज सेवा

निवासी 2/652 इ., विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ

व भी पद्मन कमार याद्य

पुत्र भी फूलघन्ड याद्य

प्रथा समाज

निवासी श. महोरी जिला यन्दीली

व भी :

प्रथा सद वाहियों के नितान अनुद विवाहनुसार लिखे गये हैं।



राजस्थान अधिकारी के दस्तावे

एच० केओ पाण्डेय
उप-निवन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

रजिस्टर, केंद्रीय आदि संस्थापक दस्ती के पास रहेंगे तथा द्रस्ट की समस्त समाजिक जैसे कुसी में अलगावी कार्यालय आदि संस्थापक के पास रहेंगे।

संस्था के कोष

: न्यास के कोष/टोकड़ का लेरा-जोरा और बैंक पास युक को सुरक्षित रखने का उत्तर दायित्व संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यास का होगा। अधिक से

अधिक 25000/- (पचास हजार रुपये मात्र) तक नगद न्यास के कार्यों के लिए संस्थापक/अध्यक्ष न्यास अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक घनरासि जमा हो जाने पर डाक घर या अन्य बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा बैंक खाते का संचालन संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक न्यास तथा सहायक द्रस्टी/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

19. अंकेशण

: अंकेशण न्यास के आय, व्यय का अंकेशण करेंगी तथा अंकेशण प्रतिवेदन तैयार करेंगे उसकी स्वीकृति प्रबंध समिति की बैठक से प्राप्त कर ली जायेगी एवं जिसे आम सभा में पारित होना अनिवार्य होगा। प्रबंधन जब चाहे न्यास का अंकेशण करा सकते हैं। जिसका खर्च न्यास बहन करेंगी।

३६०८५२०५४५८

नामी

Registration No.: 681

Year: 2013

Book No.

0101 भारत देश में

प्र. नाम दिए गए

2002 के विवरण लिखित रूप से
उपर दिए



यह कि उपरोक्त पता स्थायी है परन्तु भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है तथा द्रस्ट में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति सम्बिलित नहीं है।

उपरोक्त न्यास की घोषणा में न्यासकर्ता/संस्थापक/अध्यक्ष/ प्रबन्धक निदेशक शहर लखनऊ में आज दिनांक 06.12.2013 को त्वेष्ट्रापूर्वक, बिना दबाव नाजायज के, पूरे होश-ह्यास में और लिखर-चित्त अवस्था में निम्नलिखित साक्षीगण के समझ करते हैं। तथा इस न्यास विलेख को हस्ताक्षरित एवं निष्पादित करते हैं। जो सही है, और सनद रहे तथा वफ़त जरूरत काम आए।

लखनऊ

दिनांक: 06.12.2013

गवाहान:

1. लीलाबती

८०८० श्री भग्नलक्ष्मीपाल

२१६५२६

८०८० (वडा गोपनी) गोपनी
लखनऊ

Bhanu Singh
(धनराज सिंह यादव)

संस्थापक/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक

अध्यक्ष

2. छायाचित्र

८०८० भग्नलक्ष्मीपाल

८०८० गोपनी
८०८०-४-८०८०
८०८०

टाईपकर्ता:

(राम/सनही)

सिविल कोट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

निवास का नाम रक्षकमाला ५०५५
लगातार: तिथि: १३/१२/२०१३
प्रकार: १३/१२/२०१३

